



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: /मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4

दिनांक: 22.07.2020

विषय :- कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता
पिटकुल, जिला-देहरादून/हरिद्वार,
उद्यम सिंह नगर/नैनीताल।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 447/USDMA/792(2020) दिनांक 17.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित अन्य निर्देशों के साथ बिन्दु-04 में निम्नवत निर्देशित किया गया है कि:-

There shall be complete lockdown in Saturdays and Sunday in the districts of Dehradun, Haridwar, U.S. Nagar and Nanital, **except for essential services** including operations of industrial unites in multiple shifts, agricultural and constructions activities, liquor shops, hotels, movement of persons and vehicles associated with these activities, movement of goods on National and State highways, loading and unloading of cargo and travel of persons to their destinations after disembarking from buses, trains and airplanes.

इसके साथ ही उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 2614/सीपीओ-डीएम-2020 दिनांक 17.07.2020 के द्वारा आदेशित किया गया है कि उत्तराखण्ड शासन का उपरोक्त वर्णित आदेश जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत भी यथावत प्रभावी रहेगा तथा पत्र में वर्णित अन्य के साथ विद्युत विभाग के कार्य-स्थल, उपकरण तथा इनसे सम्बन्धित वाहन को संचालन में छूट रहेगी एवं उससे सम्बन्धित व्यक्ति एवं वाहनों को भी आवागमन में छूट होगी।

अतः आपको उक्त आदेश की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित है कि पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का स्वयं पालन करते हुये अपने अधीनस्थ कार्मिकों से भी अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

सलग्नक:-यथोपरि।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 831/मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (वित्त)/ (परिचालन)/ (परियोजना)/ (मा०सं०), पिटकुल, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देशों के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को संलग्नक सहित पिटकुल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रेषक,

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून: दिनांक 17 जुलाई, 2020

विषय: कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित तालाबन्दी की क्रमवार समाप्ति के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत करवाना है कि तालाबन्दी (Lockdown) की क्रमवार समाप्ति (Unlock-1) हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या- 385/USDMA/792/(2020), दिनांक 2 जुलाई, 2020 में निम्नलिखित प्रावधानों को समावेशित करते हुए निम्नवत निर्देश पारित किये जाते हैं:-

1. All inbound persons from other states, irrespective of the mode of travel, shall mandatorily register themselves on the Smart City web portal <http://smartcitydehradun.uk.gov.in>, prior to their travel. Though no permit/ permission shall be required for such movement, the registration documents shall necessarily be verified at the border check posts.
2. All inbound asymptomatic persons, who have undergone RT-PCR test from ICMR authorised lab not earlier than 72 hours from the time of arrival, reflecting Covid-19 negative report, shall be permitted to enter the State without any restrictions. Such persons shall also be exempted from being quarantined.
 - 2.1. However, all such inbound persons who have undergone RT-PCR test, as specified in para 2, shall also necessarily upload their medical report on the given web portal (<http://smartcitydehradun.uk.gov.in>). The district authorities shall ensure proper verification of medical reports of the concerned persons at the border check posts at the time of entry.

3. There shall be an upper limit of 1500 persons per day (excluding people coming by train and plane) for all inbound persons travelling to the state without undergoing RT-PCR tests. In exceptional circumstances, DMs will be authorized to issue around 50 permits, over and above this limit, to persons in distress.
- 3.1. Such persons can be randomly tested for Covid-19 at the border check posts. If found positive, it shall be the responsibility of the concerned District Administration, in coordination with the Health authorities, to follow protocols as laid down by MoHFW and State Government.
- 3.2. Further, paras 4.3 and 4.4 of the G.O. no-385/USDMA/792(2020), dated 2nd July, 2020 shall also be applicable for such inbound persons.
- 3.3. All inbound tourists and persons mentioned in paras 4.4.2, 4.4.5 and 4.4.6 of the G.O. no-385/USDMA/792(2020), dated 2nd July, 2020 shall not be included in the upper limit of 1500 persons per day.
- 3.4. Para 4.4.2 of the G.O. no-385/USDMA/792(2020), dated 2nd July, 2020 is amended to the extent that all inbound asymptomatic workers, employees, experts/ consultants and suppliers shall be allowed only after showing the authorization letter by the concerned agencies at the border check posts.
4. There shall be complete lockdown on Saturdays and Sundays in the districts of Dehradun, Haridwar, U.S.Nagar and Nainital, except for essential services including operations of industrial units in multiple shifts; agricultural and construction activities, liquor shops, hotels, movement of persons and vehicles associated with these activities, movement of goods on National and State highways, loading and unloading of cargo and travel of persons to their destinations after disembarking from buses, trains and airplanes.

अतः सभी सम्बन्धित उपरोक्त समस्त निर्देशों के साथ-साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-30/2020-DM-I (A), दिनांक 29 जून, 2020 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 385/USDMA/792(2020), दिनांक 2 जुलाई 2020 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।


भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या: 447/USDMA/792(2020) एवं तददिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित पत्रावली।


(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

::आदेशः

प्रत्येक सप्ताह के शनिवार एवं रविवार को लॉक डाउन सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या: 447/USDMA/792(2020) दिनांक 17.07.2020 जनपद, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत भी यथावत प्रभावी रहेगा। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 4 के अन्तर्गत (1)-दवाओं की दुकानें (2)-पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सियां (3)-डैरी (दूध, दही आपूर्ति करने वाली दुकानें) (4)-होम डिलीवरी (5)-मीट/मछली की दुकानें (जिनके पास वैध लाईसेंस हो) (6)-फल-सब्जियों की दुकानें (7)-स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, नगर निगम/नगर पालिका तथा विद्युत विभाग के कार्य-स्थल, उपकरण तथा इनसे सम्बन्धित वाहन (8)-औद्योगिक इकाईयां (9)-कृषि एवं निर्माण गतिविधियां (10)-मदिरा की दुकान (11)-होटल (12)-बेकरी को संचालन की छूट रहेगी। उपरोक्त गतिविधियों से सम्बन्धित व्यक्ति एवं वाहनों को भी आवागमन में छूट होगी।

अतः उपरोक्त आदेश की प्रति सभी सम्बन्धितों को शत-प्रतिशत अनुपालन एवं निर्गत निर्देशों को कड़ाई से लागू कराये जाने हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त आदेश का जन सुरक्षा के दृष्टिगत अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी जायेगी।

(डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : 2614 / सीपीओ-डीएम-2020

दिनांक : 17 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 2- अपर मुख्य सचिव महोदय, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
- 3- सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 4- सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 5- आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
- 6- उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
- 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/ऋषिकेश।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी, देहरादून।
- 9- मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
- 10- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद गढ़ीकैन्ट/क्लेमनटाउन, देहरादून।
- 11- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जनपद-देहरादून।
- 12- जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।



जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।